तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5111/2006/पाली** **जीवराजसिंह व अन्य बनाम चुन्नी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री ओ0एल0 दवे, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री वी0पी0 सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी।

आदेश

दिनांकः—10.06.2025

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—07—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— वकील प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीया/वादीनी द्वारा वाद पत्र वर्ष 1992 में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे लगभग 13 वर्ष हो चुके है ओर इस 13 वर्ष की अवधि के पश्चात् अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र इस कथन पर कि अप्रार्थीया अनपढ व विधवा महिला है, मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया द्वारा उक्त 13 वर्ष की अवधि बाबत् बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण वर्णित किये अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने आदेश में बिना कोई युक्तियुक्त कारण वर्णित किये मात्र चार लाईनों में आदेश परित कर स्वीकार कर लिया जो कि नोन स्पीकिंग आदेश होने से निरस्तनीय है। यहां यह लिखना भी उपयुक्त होगा कि वाद पत्र में अप्रार्थीया वादीनी की साक्ष्य के दौरान अप्रार्थीया द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात कोपी की कोपी होने साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने व प्रदर्श नहीं लगाने हेतु प्रार्थीगण—प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रसतुत कर ऐतराज किया गया था उसके पश्चात् अप्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपनी कमियों को पूरा करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खतौनी सम्वत् 2009 से 2029, रजिस्ट्री दिनांक 27—12—91 व खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि अप्रार्थीया द्वारा वाद प्रस्तुत करने के दिन भी वादीनी के पास थे किन्तु वादीनी द्वारा वाद पत्र के साथ पेश नहीं किये गये, ना ही वादीनी ने यह कथन वर्णित किया कि ये दस्तावेज उसके कब्जे में नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 में निहित कानूनी प्रावधानों को समझे बिना एवं अपने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना अप्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर महत्वपूर्ण भूल की है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—07—2006 निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

4— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए अभिकथन किया कि अनिगराकार ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5111/2006/पाली** **जीवराजसिंह व अन्य बनाम चुन्नी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र के साथ कुछ राजस्व रिकार्ड यथा नकल खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2009–29 व रजिस्ट्री दिनांक 27–12–2001 घीसाराम, बदाराम पि0 दरगारामजी के नाम की व खसरा गिरदावरी की फोटो प्रतियां पेश की थी जो रिकार्ड पर हैं। मूल प्रमाणित प्रतियां अब पेश की गयी है। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी ने विधिसम्मत रूप से अनिगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में स्वीकार कर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जाकर परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–07–2006 बहाल रखा जावे।

5– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया। अनिगराकार क्रम 01 चुन्नी ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 46 एवं धारा 125 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया। उक्त वाद में अनिगराकार क्रम 01 द्वारा दिनांक 24–06–2006 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का कथन किया। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी ने निगराधीन आदेश दिनांक 25–07–2006 के द्वारा अनिगराकार क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 व सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात जो कि प्रमाणित प्रतियां है को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2006 से व्यथित होकर निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गयी है। निगराकार ने मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में मुख्य रूप से कथन किया है कि ''उक्त दस्तावेजात अनिगराकार क्रम 01 के पास पूर्व से ही थे इसके अलावा अनिगराकार क्रम 01 वादीनी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद सन् 1992 में पेश किया था जिसके लगभग 13 वर्ष पश्चात् उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा वादीनी अनिगराकार क्रम 01 ने अपने प्रार्थना पत्र में इतने विलम्ब से दस्तावेजात को पेश किये जाने बाबत् कोई युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किये हैं।'' हम निगराकार के उक्त कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में अनिगराकार क्रम 01 जो कि वादी है ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादपत्र के साथ फोटो प्रतियां पेश कर दी थी। फोटो प्रतियों के स्थान पर उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां पेश की गयी है। विद्वान अभिभाषक निगराकार ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि ''उक्त समस्त दस्तावेजात वादीनी के पास में पूर्व से ही थे परंतु उनके द्वारा लापरवाही कर समय पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये है।'' विद्वान अभिभाषक निगराकार का उक्त कथन भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पक्षकारान जो कि ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होते है जिन्हें कानून की ज्यादा जानकारी नहीं होती और न ही वे कानून की पेचीदगियों से भिज्ञ रहते हैं। उपर्युक्त स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने वादी/अनिगराकार क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त दस्तावेजात के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड को रिकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। सीपीसी के प्रावधान आदेश 7 नियम 14 में स्पष्ट रूप से प्रावधित किया गया है कि यदि कोई दस्तावेज पेश करने से रह जावे तो वह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5111/2006/पाली** **जीवराजसिंह व अन्य बनाम चुन्नी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय की अनुमति से पेश किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

6— उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—07—2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य